

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898
 in the court of..... Class.....
 Case No.....240/2017 Complaint or report made on.....
 Name and address of the Complainant.....शा0पु0गोहद चौराहा बनाम सफीक

Name, parentage, caste and address of accused

1. सफीक उर्फ माते खां पुत्र रेहमान खां उम्र 26 वर्ष निवासी सीताराम की लावन थाना गोरमी जिला भिण्ड म.प्र.

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 06.10.17 को समय 19:40 बजे से 19:55 बजे के मध्य स्थान स्टेशन रोड रेलवे कौंसिंग के पास गोहद चौराहा जिला भिण्ड पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के हाथ की बनी दो लीटर कच्ची शराब को अपने आधिपत्य में रखा जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

The Offence proved, if any and in case clause(d), clause(f) clause(g) or subsection(i) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

(निर्णय)

(आज दिनांक 26.10.2017 को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण को धारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाता है एवं आरोपी/आरोपीगण को उक्त अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 800/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में आरोपी/आरोपीगण को पांच दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
4. प्रकरण में जब्तशुदा दो लीटर कच्ची शराब अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

स्थान— गोहद

दिनांक— 26.10.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड